

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 400/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.10.2026

थाना कोतवाली

- ☐ होली पर जिसने रचा था जुर्म का काला खेल, गैंगस्टर एक्ट के साए में, आज फिर चला वो जेल।
- ☐ गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त अजय कुमार राव गिरफ्तार, बिलरिया की चुंगी से थाना कोतवाली पुलिस ने

पकड़ा।

- ☐ फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में पूर्व में जेल जा चुका है अभियुक्त, आपराधिक इतिहास में कुल 11 अभियोग दर्ज।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मानुष पारीक एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अजय कुमार राव को दिनांक 18.10.2026 को समय करीब 08:45 बजे बिलरिया की चुंगी से गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 04.03.2026 को वादी सवि कुमार पुत्र रामसूरत निवासी ग्राम हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि गांव के अजय कुमार राव व अन्य व्यक्तियों ने उसके घर के सामने गाली-गलौज की तथा विरोध करने पर अजय कुमार राव ने गनर शशिकांत राय की बंदूक लेकर उसके मित्र गौतम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 87/26 धारा 109(1), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में अभियुक्त अजय कुमार राव को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित गैंगचार्ट के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 17.10.2026 को थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 545/26 धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजय कुमार राव पुत्र बाबूराम, निवासी ग्राम हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

- मु०अ०सं० 87/26 धारा 109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 1201/10 धारा 272/273 भादवि एवं धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 1212/11 धारा 323/427/504/506 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 139/18 धारा 147/504/506 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 206/19 धारा 120बी/147/148/504/506 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 333/20 धारा 323/504 भादवि एवं धारा 3(1)द एससी/एसटी एक्ट, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

7. मु0अ0सं0 297/21 धारा 323/406/420/504/506 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 138/22 धारा 406/420/504/506 भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 71/23 धारा 406/420/504/506 भादवि, थाना कंधरापुर, आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 91/23 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 545/26 धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
2. उ0नि0 मिथिलेश प्रजापति, चौकी प्रभारी बलरामपुर।
3. कां0 सुमित कुमार।
4. कां0 राहुल कुमार यादव।
5. कां0 जयशंकर।
6. म0का0 लक्ष्मी यादव, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

थाना सिधारी

□ कैसे के लेन-देन के विवाद में ब्रेजा कार छीनकर जबरन ले जाने एवं ऑनलाइन ₹15,000 मंगाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

□ थाना सिधारी पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, छीनी गई ब्रेजा कार UP 50 BF 1795 बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में थाना सिधारी पुलिस द्वारा मुकदमा मु0अ0सं0 426/26 धारा 309(4)/140(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को दिनांक 18.10.2026 को समय करीब 10:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से छीनी गई ब्रेजा कार UP 50 BF 1795 बरामद की गई।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 17.10.2026 को वादी धनंजय यादव पुत्र रामकेश यादव निवासी ग्राम कठौरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर तहरीर दी कि कैसे के लेन-देन के विवाद में अभियुक्तों ने उसकी ब्रेजा कार छीन ली तथा कैसे मांगने पर विरोध करने के कारण उसे जबरन अपने साथ ले गए और ऑनलाइन माध्यम से ₹15,000 मंगवा लिए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 426/26 धारा 309(4)/140(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण एवं बरामदगी-

दिनांक 18.10.2026 को निरीक्षक शिव कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित दोनों अभियुक्तों को थाना सिधारी क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से छीनी गई ब्रेजा कार नंबर UP 50 BF 1795 बरामद की गई। मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अभिषेक यादव पुत्र चन्द्रभूषण यादव, निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. गौरव यादव पुत्र सर्वेश यादव, निवासी ग्राम गेलवारा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अभिषेक यादव

1. मु0अ0सं0 372/24 धारा 352, 351(2) बीएनएस, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त गौरव यादव

1. मु0अ0सं0 358/25 धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 225/2021 धारा 308, 323, 504, 506 भादवि, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 50/2022 धारा 506 भादवि, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0 404/2023 धारा 307 भादवि एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक शिव कुमार यादव, थाना सिधारी, आजमगढ़।

2. उ0नि0 जावेद सिद्दीकी, थाना सिधारी, आजमगढ़।

3. उ0नि0 शिवम द्विवेदी, थाना सिधारी, आजमगढ़।

4. का0 अजीत सिंह, थाना सिधारी, आजमगढ़।

5. का0 विनोद कुमार, थाना सिधारी, आजमगढ़।

थाना रौनापार

☐ थाना रौनापार पुलिस की साइबर टीम ने साइबर फ्रॉड के पीड़ित को ₹2,126.01 की धनराशि वापस कराई।

☐ कुल ₹27,845.13 की धनराशि कराई गई थी होल्ड, शेष धनराशि वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित।

घटना का विवरण-

आवेदक श्री बृजेश पटेल पुत्र शर्मा सिंह निवासी ग्राम हाजीपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 28.08.2026 को ₹39,998.63 का साइबर फ्रॉड हुआ था। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 28.08.2026 को थाना रौनापार पर साइबर शिकायत संख्या 33108260223762 दर्ज कराई गई थी।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा संबंधित बैंकों से ई-मेल एवं वार्ता के माध्यम से समन्वय स्थापित कर फ्रॉड की गई कुल धनराशि में से ₹27,845.13 विभिन्न खातों में होल्ड कराए गए। होल्ड कराई गई धनराशि में से ₹2,126.01 दिनांक 16.10.2026 को MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में वापस कराए गए। शेष होल्ड धनराशि को भी वापस कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

साइबर अपराध से बचाव हेतु अपील-

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, ATM/डेबिट कार्ड की जानकारी, PIN या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने तथा वीडियो कॉल पर किसी के दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर करने से बचें। किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। त्वरित शिकायत से ठगी गई धनराशि को होल्ड कराने की संभावना बढ़ जाती है।

पुलिस टीम का विवरण- साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर

☐ **जान से मारने की नीयत से हमला करने एवं धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

☐ **थाना गम्भीरपुर पुलिस ने अभियुक्त रामअवतार को उसके घर से किया गिरफ्तार।**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.10.2026 को वादिनी मुकदमा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 15.10.2026 को समय करीब 20:00 बजे बकरी बांधने के विवाद को लेकर विपक्षी रामअवतार पुत्र महाबल सरोज निवासी ग्राम बभनगांवा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा जान से मारने की नीयत से उनके सिर पर हमला किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 247/2026 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 18.10.2026 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामअवतार पुत्र महाबल सरोज निवासी ग्राम बभनगांवा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12:05 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- रामअवतार पुत्र महाबल सरोज निवासी ग्राम बभनगांवा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 247/2026 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक सिंह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 शिवांश शुक्ला, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 रामकरन सिंह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
4. का0 नोमान अख्तर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

मिशन शक्ति आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़

- मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत आजमगढ़ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के प्रति चलाया गया जागरूकता अभियान।
- 26 थानों के अंतर्गत 74 ग्राम पंचायतों/वार्डों एवं स्कूल-कॉलेजों में 99 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, 2,609 महिला-पुरुष एवं छात्र-छात्राएं जागरूक।
- एंटी रोमियो टीम ने 1,316 व्यक्तियों की चेकिंग कर 736 को चेतावनी दी, 01 के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही तथा 371 निजी टैक्सी/वाहनों का सत्यापन किया गया। स्टंटबाजी करने वाले 92 वाहनों का चालान।

कार्यवाही का विवरण-

अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति श्री पंकज श्रीवास्तव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी/क्षेत्राधिकारी लालगंज श्रीमती आस्था जायसवाल के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त महिला बीट पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के स्कूल-कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

कार्यवाही का विवरण-

1. जनपद के कुल 26 थानों के अंतर्गत 74 ग्राम पंचायतों/वार्डों एवं स्कूल-कॉलेजों में 99 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
2. इन कार्यक्रमों में 2,085 महिलाएं/बालिकाएं तथा 524 पुरुष/छात्र शामिल हुए। कुल 2,609 लोगों को जागरूक किया गया।
3. जागरूकता सामग्री के रूप में 1,466 प्रिंटेड सामग्री एवं 19 ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी वितरित की गईं।
4. सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाजी करने वाले 92 वाहनों का चालान किया गया।
5. एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा 72 स्थानों पर 1,316 व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा 736 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई। 01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 126/135/170 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
6. कुल 371 निजी टैक्सी/वाहनों की चेकिंग कर उनका सत्यापन किया गया।

महिला सुरक्षा हेल्पलाइन एवं जागरूकता-

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबरों 1090, 1098, 1076, 181, 112, 102 एवं 108 के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रति भी जागरूक किया गया।

आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

□ थाना मेंहनगर क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में वांछित 01 युवती एवं 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.10.2026 को वादी श्री चंद्रभान राम पुत्र स्व० शालिम राम निवासी ग्राम धरमपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेंहनगर पर तहरीर दी गई कि उनका 25 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार दिनांक 15.10.2026 को शाम करीब 4 बजे कोचिंग पढ़ाने जाने की बात कहकर घर से निकला था। शाम करीब 8 बजे उसने फोन पर बताया कि वह उस दिन घर नहीं आएगा तथा अगले दिन सुबह वापस आएगा। इसके बाद वादी को सूचना मिली कि उनका पुत्र मृत अवस्था में एक युवती के घर पड़ा है। वादी द्वारा युवती एवं सुमित पुत्र जयप्रकाश निवासी करनेहुआ, थाना मेंहनगर पर हत्या करने का आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु०अ०सं० 349/2026 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष अभिराज सरोज के नेतृत्व में थाना मेंहनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.10.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित युवती एवं अभियुक्त सुमित पुत्र जयप्रकाश निवासी करनेहुआ, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ को पवनी कला, थाना मेंहनगर क्षेत्र से समय करीब 11:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. एक युवती।
2. सुमित पुत्र जयप्रकाश निवासी करनेहुआ, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्तगण के मोबाइल फोन।
2. एक अदद दुपट्टा।

पूछताछ का विवरण- पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए जाने की बात बताई गई है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 349/2026, धारा 108/61(2) बीएनएस, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अभिराज सरोज, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सूरज गुप्ता, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 विवेक सिंह, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 गीतांजलि, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद- मिशन शक्ति 6.0- जनपद आजमगढ़ पुलिस

□ मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत ग्राम गन्धुवई में बाल विवाह एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

□ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को बाल विवाह की रोकथाम, बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का विवरण-

आज दिनांक 18.10.2026 को मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल कल्याण विभाग के समन्वय से थाना निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गन्धुवई में बाल विवाह एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं इसकी रोकथाम के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही बालिकाओं की शिक्षा एवं सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में व्याप्त बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करना तथा महिलाओं एवं बच्चों के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना रहा। इस दौरान आमजन को बाल विवाह रोकने तथा महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त भविष्य के निर्माण में सहयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी-

1. निरीक्षक निहार नंदन, प्रभारी थाना एएचटी।
2. निरीक्षक राकेश सिंह, थाना प्रभारी निजामाबाद।
3. प्रीति उपाध्याय, महिला एवं बाल कल्याण विभाग।
4. अन्नू सिंह, महिला एवं बाल कल्याण विभाग।
5. संजय शाही, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098।
6. चित्रांशु मिश्रा, चौकी प्रभारी फरिहा।
7. प्रियंका तिवारी, चौकी प्रभारी बदरका।
8. पूनम विश्वकर्मा, प्रभारी मिशन शक्ति अभियान।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

